

प्रतिभूपत्र- II

मैं पुत्र श्री निवासी ग्राम
..... के खाता संख्या खसरा संख्या क्षेत्रफल
..... स्थित ग्राम का स्वामी हूँ।

यह कि उपरोक्त भूमि खाता संख्या खसरा संख्या क्षेत्रफल
..... स्थित ग्राम का अधिग्रहण (धारा 4/17, 6/17) दिनांक
.. को प्राधिकरण या जेवर एयरपोर्ट के लिए किया जा चुका है।

यह कि मेरे द्वारा प्राधिकरण या जेवर एयरपोर्ट की अधिग्रहित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है।

मेरे द्वारा प्राधिकरण या जेवर एयरपोर्ट का कोई विकास कार्य बाधित नहीं किया जा रहा है और न ही किसी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन : अभियंत्रण विभाग

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण प्राधिकरण रिकार्ड/जानकारी में सच व सही है।

प्रतिभूपत्र-III (मूल कृषक की मृत्यु होने पर लागू)

मैं पुत्र श्री निवासी ग्राम
..... के खाता संख्या खसरा संख्या क्षेत्रफल
.. स्थित ग्राम का स्वामी हूँ।

यह कि उपरोक्त भूमि खाता संख्या खसरा संख्या क्षेत्रफल
..... स्थित ग्राम का अधिग्रहण (धारा 4/17, 6/17) दिनांक
को प्राधिकरण या जेवर एयरपोर्ट के लिए किया जा चुका है। जिसका प्रतिकर हमारे माता/पिता द्वारा प्राप्त किया
जा चुका है। हमारे माता/पिता जी का देहान्त दिनांक को हो चुकी है। हमारे माता/पिता के मेरे अलावा
अन्य वारिस ओर भी है। हमारे पिताजी अथवा उनके किसी भी वारिस द्वारा कृषक कोटे के अन्तर्गत कोई
भूखण्ड प्राप्त नहीं किया गया है।

हमारे माता पिता की मृत्यु के उपरान्त मेरे भाई/बहन द्वारा प्राधिकरण
की आवासीय भूखण्ड योजना RPS10/2026 में हमारे माता/पिता के कृषक कोटे से भूखण्ड प्राप्ति हेतु आवेदन
किया गया है। जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे द्वारा भविष्य में अपने माता/पिता के कृषक कोटे से कोई
आवेदन नहीं किया जायेगा। यदि मेरे द्वारा ऐसा किया जाता है, तो मुझे मिलने वाला भूखण्ड प्राधिकरण के
नियमानुसार निरस्त कर दिया जाये। जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है ओर न भविष्य में होगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

(वारिसान एवं मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।)